माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार

खण्ड - I

1. लघु उद्यम

1.1.1 उद्यम (विनिर्माण) उद्यम

ऐसे उद्यम जो वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या परिरक्षण के कार्य में लगे हैं और जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश (भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 5 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. एसओ.1722(इ) में निर्दिष्ट मदों जैसाकि अनुबंध I में दर्शाया गया है, को छोड़कर मूल लागत) **5 करोड़ रुपए से अधिक न हो** ।

1.1.2 लघु (सेवा) उद्यम

ऐसे उद्यम जो सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगे हों तथा जिनका उपस्कर में निवेश (भूमि और भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसी अन्य मदें जो दी गई सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं अथवा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 में अधिसूचित की गई मदों को छोड़कर मूल लागत) **2 करोड़ रुपए से अधिक न हो** ।

1.2.1 माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम

ऐसे उद्यम जो वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या परिरक्षण के कार्य में लगे हैं और जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश (भूमि और भवन तथा 1.1.1 में निर्दिष्ट मदों को छोड़कर मूल लागत) **25 लाख रूपए से अधिक न हो**, चाहे इकाई कहीं भी स्थित हो।

1.2.2 माइक्रो (सेवा) उद्यम

ऐसे उद्यम जो सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगे हों तथा जिनका उपस्कर में निवेश (भूमि और भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स और 1.1.2 में निर्दिष्ट मदों को छोड़कर मूल लागत) 10 **लाख रुपए से अधिक न हो** ।

1.3.1 मध्यम (विनिर्माण) उद्यम

ऐसे उद्यम जो वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या परिरक्षण के कार्य में लगे हैं और जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश (भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 5

अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. एसओ. 1722 (इ) में निर्दिष्ट मदों को छोड़कर मूल लागत) **5 करोड़ रु पए से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ से अधिक न हो ।**

1.3.2 मध्यम (सेवा) उद्यम

ऐसे उद्यम जो सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगे हों तथा जिनका उपस्कर में निवेश (भूमि और भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स और 1.1.2 में निर्दिष्ट मदों को छोड़कर मूल लागत) 2 **करोड़ रुपए से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो।**

लघु और माइक्रो (सेवा) उद्यम में लघु सड़क और जल परिवहन परिचालक, लघु व्यवसाय, व्यावसायिक और स्व-नियाजित व्यक्तियों तथा अन्य सभी सेवा उद्यम शामिल होंगे।

मध्यम उद्यमों को दिए गए बैंक ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

1.4 खादी ग्राम उद्योग क्षेत्र

परिचालनों के आकार, अवस्थिति तथा संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश की राशि पर ध्यान दिए बगैर खादी-ग्राम उद्योग क्षेत्र की ईकाइयों को प्रदान सभी अग्रिम । ऐसे अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग हेतु नियत उप-लक्ष्य (60 प्रतिशत) के अधीन विचार करने के लिए पात्र होंगे।

1.5 अप्रत्यक्ष वित्त

1.5.1 ऐसे व्यक्ति जो कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति तथा उनके उत्पादनों के विपणन के कार्य में विकेंद्रित क्षेत्र की सहायता कर रहे हों।

1.5.2 विकेंद्रित क्षेत्र में उत्पादकों के को-आपरेटिव अर्थात् कारीगरों,ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को अग्रिम ।

1.5.3 केवल गैर-कृषि क्षेत्र के वित्तपोषण के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा जारी विशेष बांडों में बैंकों द्वारा 31
मार्च 2007 तक किए गए निवेशों को, ऐसे बांडों की परिपक्वता तारीख तक या 31 मार्च 2010 तक,जो भी पहले हो, लघु उद्यम क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त के रु प में वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, 31 मार्च 2007 के बाद ऐसे विशेष बांडों में किए गए निवेश ऐसे वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।

1.5.4 विदेशी बैंकों जिनके कार्यालय भारत में स्थित हैं, द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों /उप-लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण सिडबी में रखी जमाराशियां, जो 30 अप्रैल 2007 तक बकाया थीं अपनी परिपक्वता तारीख तक या 31 मार्च 2010, जो भी पहले हो, लघु उद्यम को अप्रत्यक्ष ऋण के रु प में वर्गीकरण हेतु पात्र होंगी। तथापि, बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण 30

अप्रैल 2007 को या उसके बाद सिडबी में रखी नई जमाराशियां, लघु उद्यम क्षेत्र को अप्रत्यक्ष ऋण के रुप में वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं होंगी ।

1.5.5 लघु और व्यष्टि उद्यमों (विनिर्माण तथा सेवा) को आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी को बैंकों द्वारा प्रदान ऋण।

खंड - II

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत पात्र कतिपय निधि-नियोजन

1. निवेश

1.1 प्रतिभूतियुक्त आस्तियां

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को दिए गए ऋण के रुप में बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में किया गया निवेश संदर्भित आस्तियों के आधार पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्ग में वर्गीकृत किए जाने का पात्र होगा बशर्ते प्रतिभूतिकृत आस्तियां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित की गई हों तथा प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करती हों । इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिभूतिकृत आस्तियों के उक्त वर्गों में बैंक का निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंध में बैंक का निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए तभी पात्र होगा जब प्रतिभूतिकृत अग्रिम उनके प्रतिभूतिकरण से पहले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र रहा हो।

1.2 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र किसी ऋण आस्ति की एकमुश्त खरीद प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए पात्र होगी बशर्ते, खरीदे गए ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र हों ; ऋण आस्तियां विक्रेता के सहारे बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से (पूरी सावधानी से और उचित मूल्य पर) खरीदी गई हो; और पात्र ऋण आस्तियां, चुकौती के अलावा, खरीद की तारीख से छः माह की अवधि के अंदर निपटाई न गई हों।

1.3 अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आइबीपीसी) में जोखिम में हिस्सेदारी के आधार पर बैंकों द्वारा किया गया निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा बशर्ते संदर्भित आस्तियां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्गों में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र हों और निवेश की तारीख से कम से कम 180 दिवस के लिए धारित की गई हों।

2. लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों की (एसइएफसी) योजना :

वार्षिक नीति वक्तव्य 2005-06 में गवर्नर महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बैंकों की शाखाओं तथा "लघु उद्यम वित्तीय केन्द्र" के नाम से समूह में स्थित सिडबी के बीच प्रणालीगत गठबंधन के लिए एक योजना तैयार की गई । यह योजना लघु उद्योग एवं बैंकिंग प्रभाग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, भारतीय बैंक संघ तथा चुनिंदा बैंकों के परामर्श से तैयार की गई तथा दिनांक 20 मई 2005 को कार्यान्वयन हेतु सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को परिचालित की गई । प्रारंभ में सिडबी ने ऐसे 149 केन्द्र शुरु करने का निर्णय लिया था । सिडबी ने अब तक 16 बैंकों (बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, कार्पोरेशन बैंक, आइडीबीआइ बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक,स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र तथा फेडरल बैंक) के साथ सहमति ज्ञापन शुरु किया है । वर्तमान सिडबी शाखाओं द्वारा कवर किये गये माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम समूहों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है ।

<u>खंड III</u>

<u>घरेलू वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार का लक्ष्य</u>

1. विदेशी बैंकह्र को छोड़कर सभी घरेलू वाणिज्य बैंकह्र के लिए मुख्य लक्ष्य

1.1 घरेलू वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को देय ऋणह्र का दायरा बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करें कि समायोजित निवल बैंक ऋण का न्यूनतम 40% या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो का हिस्सा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (जिसमें लघु उद्यम क्षेत्र सम्मिलित है) के रुप में हो ।

1.2 हालांकि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के अनुसार लघु उद्यम क्षेत्र को उधार के लिए कोई उप-लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं , बैंक माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को अग्रिमों में वृद्धि के लिए लक्ष्य स्वयं निर्धारित कर सकते हैं ताकि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि प्राप्त की जा सके; जिसका उद्देश्य 5 वर्ष अर्थात् 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उपलब्ध कराया जानेवाला ऋण दुगुना करना है।

1.3 लघु उद्यम क्षेत्र के सभी हिस्सों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(क) लघु उद्यम क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश हो, तथा ऐसे माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में 2 लाख रुपए तक का निवेश हो, को दिया जाना चाहिए

(ख) लघु उद्यम क्षेत्र के लिए नियत कुल अग्रिम का 20% ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक हो; तथा माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में किया गया निवेश 2 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक हो, को दिया जाना चाहिए। (इस तरह लघु उद्यम अग्रिमों का 60% माइक्रो उद्यमों को जाना चाहिए)

2. विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्य

2.1.1 विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण बढ़ाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (जिनमें लघु उद्यम क्षेत्र शामिल है) में समायोजित निवल बैंक ऋण का 32% या तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, शामिल होना चाहिए ।

2.1.2 विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित किये जाने वाले 32% लक्ष्य की समग्र सीमा में ही लघु उद्यम क्षेत्र को देय अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, नहीं होना चाहिए।

2.1.3 लघु उद्यम क्षेत्र के सभी हिस्सों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(क) लघु उद्यम क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत ऐसे माइक्रो विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश हो, तथा ऐसे माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में 2 लाख रुपए तक का निवेश हो, को दया जाना चाहिए ।

(ख) लघु उद्यम क्षेत्र के लिए नियत कुल अग्रिम का 20% ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 लाख रु.से अधिक और 25 लाख रु. तक हो ; तथा माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में किया गया निवेश 2 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक हो, को

दिया जाना चाहिए। (इस तरह लघु उद्यम अग्रिमों का 60% माइक्रो उद्यमों को जाना चाहिए)

(निवल बैंक ऋण के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत प्रस्तुत पाक्षिक विवरणी के अनुरुप होने चाहिए । एफसीएनआर (बी) तथा एनआरएनआर योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत बकाया जमाराशियों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य/उप लक्ष्य की गणना के लिए निवल बैंक ऋण से निकाल दिया जाए । तथापि, एनआरएनआर योजना को समाप्त कर दिया गया है, अतः एनआरएनआर खाता योजना के अंतर्गत वर्तमान खातों को केवल परिपक्वता तारीख तक चालू रखा जाए जैसाकि दिनांक 29 अप्रैल 2002 के परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर.बीसी. 93/13.01.09/2001-02 में सूचित किया गया है ।)

3. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को निर्धारित लक्ष्य से कम ऋण देने पर विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी में जमा की जाने वाली राशि

3.1 जिन विदेशी बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्धारित लक्ष्य / उप-लक्ष्य से कम ऋण दिए हैं उन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित किए जानेवाले छोटे उद्यम विकास निधि (एसईडीएफ) में या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जानेवाले प्रयोजनों के लिए अंशदान करना होगा।

3.2 ऐसे आबंटन के प्रयोजन के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च माह के सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में प्राप्त स्तर को हिसाब में लिया जाएगा।

3.3 एसइडीएफ की आधारभूत निधि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाएगी। जमाराशियों की अवधि तीन वर्ष या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारितानुसार होगी। आधारभूत निधि का 50 प्रतिशत अंशदान यथानुपातिक आधार पर उन विदेशी बैंकों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्धारित एएनबीसी के 32 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम ऋण दिए हों। आधारभूत निधि का शेष 50 प्रतिशत अंशदान यथानुपातिक आधार पर उन विदेशी बैंकों द्वारा किया जाएगा जिनके छोटे उद्यम क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र को दिए गए ऋण की कमी कुल मिलाकर एएनबीसी के क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, रही हो । तथापि, विदेशी बैंकों द्वारा किया जानेवाला अंशदान विदेशी बैंक के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के निर्धारित लक्ष्य / उप-लक्ष्य की प्राप्ति में आई कमी की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.4 सिडबी / या ऐसी अन्य कोई संस्था जिसका निर्धारण रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा, निधियों की आवश्यकता पड़ने पर एक माह पूर्व सूचना देकर विदेशी बैंकों को अंशदान करने के लिए कहेगी।

3.5 विदेशी बैंकों के अंशदान पर ब्याज दरें, जमाराशियों की अवधि आदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

3.6 विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियामक क्लीयरेंस / अनुमोदन देते समय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना एक विचारणीय मद होगी।

(एएनबीसी या तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि (भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय समय पर यथापरिभाषित) की गणना पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया राशि के संदर्भ में की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बकाया एफसीएनआर (बी) और एनआरएनआर जमाशेषों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन के लिए एएनबीसी की गणना करने के लिए अब घटाया नहीं जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन के लिए एएनबीसी का मतलब है एनबीसी प्लस एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बॉंडों में बैंकों द्वारा किया गया निवेश । भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पूंजीकरण बॉंडो में बैंकों द्वारा किया गया निवेश एएनबीसी की गणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। दिनांक 30.4.07 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी.84/04.09.01/2006-07की तारीख को, एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बांडों में बैंकों द्वारा किए गए मौजूदा निवेश को एएनबीसी की गणना के लिए 31 मार्च 2010 तक हिसाब में नहीं लिया जाएगा । तथापि, एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बांडों में बैंकों द्वारा किए गए नए निवेश को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों, भले ही उन्हें अनुसूची 8-तुलनपत्र में मद I(vi) - "अन्य" में "निवेश" के अंतर्गत दिखाया गया हो, को प्राप्त न करने के बदले नाबार्ड / सिडबी, जैसी भी स्थिति हो, में रखी गई जमाराशियों को एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बॉंडों में किया गया निवेश नहीं माना जाएगा। तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि की गणना करने के प्रयोजन के लिए बैंक वर्तमान एक्सपोजर प्रणाली का उपयोग करें। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक एक्सपोज़र को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।)

खंड IV

लघु उद्यम क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश / अनुदेश

1. आवेदनों का निपटान

   लघु उद्योग के लिए 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी आवेदनों का निपटान दो सप्ताह में हो जाना चाहिए तथा 5 लाख रु.पए तक की राशि वाले आवेदनों का 4 सप्ताह के

भीतर, बशर्ते कि ऋण आवेदन सभी तरह से पूरे भरे हों तथा उनके साथ एक "चेक लिस्ट" हो ।

2. संपाश्र्विक

संपाश्र्विक जमानत प्राप्त करने हेतु सभी लघु उद्योग (विनिर्माण या उत्पादन और सेवांए प्रदान करना दोनों) के उधार खातों के लिए सीमा 5 लाख रुपए है । लघु उद्योग इकाइयों का अच्छा रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक, ऋण हेतु संपाश्र्विक अपेक्षाओं में छूट की सीमा को 25 लाख रु.पए तक बढ़ा सकता है (उचित प्राधिकारी के अनुमोदन से) ।

3. संमिश्र ऋण

बैंकों द्वारा 1 करोड़ रु. तक की संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है ताकि लघु उद्योग के उद्यमी एक ही स्थान पर अपनी कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण अपेक्षाओं का उपयोग कर सके।

4. लघु और मध्यम उद्यम की विशेषीकृत शाखाएं -

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखा खोलें । साथ ही, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे 60% से अधिक लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम वाली अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं के रुप में वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि वे समग्र रुप से इस क्षेत्र को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु और अधिक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाएं खोल सकें । लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण में वृध्दि हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु उद्यमों की अधिकता वाले पहचाने गये समूहों / केन्द्रों में विशेषीकृत लघु और मध्यम उद्यम शाखाएं सुनिश्चित करेंगे ताकि उद्यमी आसानी से बैंक ऋण ले सकें तथा बैंक कार्मिक आवश्यक विशेषज्ञता विकसित कर सकें । विद्यमान विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं को लघु और मध्यम उद्यम शाखाओं के रुप में पुनःनामित किया जाए । हालांकि उनकी महत्वपूर्ण सक्षमता लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्त और अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग में लायी जाएगी, उनके पास अन्य क्षेत्रों / उधारकर्ताओं को वित्त / अन्य सेवाएं प्रदान करने का परिचालन संबंधी लचीलापन रहेगा ।

5. विलंबित भुगतान

लघु उद्योग और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित संशोधन अधिनियम, 1998 के अंतर्गत लघु उद्योग इकाइयों को विलंबित भुगतान की देख-

रेख के लिए दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ यह तय करता है कि

(क) विक्रेता और क्रेता के बीच समझौता 120 दिन से अधिक न हो (ख) 120 दिन से अनधिक सहमत अवधि के बाद विलम्ब के लिए क्रेताओं द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर का 1 1/2 गुणा ब्याज का भुगतान किया जाए । साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशेषतः लघु उद्योग से खरीद से संबंधित भुगतान बाध्यता की पूर्ति हेतु बड़े उधारकर्ताओं के लिए समग्र कार्यकारी पूंजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करें ।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमइडी), 2006 लागू होने के बाद लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998 के वर्तमान प्रावधानों को मजबूत किया गया है जो निम्नानुसार हैं :

(i) क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व क्रेता द्वारा लिखित रुप में भुगतान करना या, यदि कोई समझौता नहीं हुआ हो तो नियत दिन से पूर्व भुगतान करना। विक्रेता और क्रेता के बीच हुए समझौते की अवधि 45 दिन से अधिक नहीं होगी ।

(ii) यदि क्रेता आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं कर पाया तो वह राशि पर नियत दिन या निर्धारित तारीख से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना चक्रवृद्धी ब्याज, मासिक अंतराल सहित भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

(iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा माल या सेवा की आपूर्ति के लिए क्रेता उक्त (ii) में सूचित बयाज के भुगतान हेतु बाध्य होगा।

(iv) देय राशि में विवाद होने पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित माइक्रो और लघु उद्यम सुविधा सेवा परिषद से संपर्क किया जाएगा।

6. रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास पर दिशा-निर्देश (कोहली कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर)

परिभाषा के अनुसार किसी इकाई को तब रूग्ण माना जाएगा जब इकाई का कोई उधार खाता छः माह से अधिक अवधि के लिए अवमानक रहता हो या पूर्व लेखा वर्ष के दौरान उनके निवल मूल्य के 50% तक संचित नकद हानि के कारण निवल मूल्य में ह्रास हुआ हो तथा कम से कम दो वर्ष के लिए इकाई वाणिज्य उत्पादन से जुडी हो । उक्त मानदंड से बैंक प्रारंभिक अवस्था में ही रुग्णता पहचान सकेंगे और इकाई के पुनर्गठन हेतु सुधारात्मक उपाय कर सकेंगे । दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई का संभाव्य रुप से अर्थक्षम / अर्थक्षम घोषित करने की तारीख से छः माह के भीतर पुनर्वास पैकेज को पूर्णतः कार्यान्वित किया

जाना चाहिए । पुनर्वास पैकेज को पहचानने और कार्यान्वित करने की इस छः माह की अवधि के दौरान बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे "धारण परिचालन" करें ताकि रुग्ण इकाई से कम से बिक्री आय की जमाराशि तक नकदी ऋण खाते में निधियां आहरित कर सकें । संभाव्य रुग्ण से अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्गठन हेतु राहत और रियायतों के लिए व्यापक मानदंड निम्नानुसार हैं :

(i) कार्यशील पूंजी पर ब्याज	र्तमान निर्धारित / मूल उधार दर से1.5% कम याज जहाँ लागू हो
(ii) निधिक ब्याज मियादी ऋण	ब्याज रहित
(iii) कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण	वर्तमान निर्धारित/मूल उधार दर से 1.5% कम ब्याज लगाया जायेगा, जहाँ लागू हो
(iv) मीयादी ऋण	ब्याज में रियायतें डॉक्यूमेंट रेट से नीचे 2% से अधिक न दी जाए (अत्यंत लघु/विकेन्द्रित क्षेत्र
(v) आकस्मिकता ऋण सहायता	कार्यशील पूजी सहायता के लिए रियायती दर

7. **राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति**

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु समन्वय की समस्याओं से निपटने के लिए सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समितियाँ गठित की गई हैं । इन समितियों की बैठकें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में की जाती हैं । यह समिति एक तरफ राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य स्तरीय संस्थानों तथा दूसरी तरफ मीयादी ऋण संस्थानों और बैंकों के बीच पर्याप्त आदान-प्रदान हेतु उपयोगी मंच उपलब्ध कराती है । यह उन इकाइयों को कार्यकारी पूंजी स्वीकृत करने पर कड़ी निगरानी रखती है जिन्हें एसएफसी द्वारा मीयादी ऋण उपलब्ध कराया गया हो, विशेष योजनाओं जैसे राज्य सरकार की मार्जिन मनी योजना , सिडबी की राष्ट्रीय ईक्विटी निधि योजना का कार्यान्वयन करती है तथा बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के आधार पर उद्योगों की सामान्य समस्याओं तथा लघु उद्योग में रूग्णता की समीक्षा करती है । दूसरों के साथ-साथ, स्थानीय राज्य स्तरीय लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधियों को तिमाही आधार पर आयोजित एसएलआइआइसी की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है । एसएलआइआइसी की एक उप-समिति प्रत्येक रूग्ण लघु उद्योग इकाई की समस्याओं की जांच करती है तथा अपनी सिफारिश एसएलआइआइसी के मंच के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करती है ।

8. **माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमा के लिए अधिकार प्राप्त समिति का गठन**

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में यूनियन वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों पर अधिकार प्राप्त

समितियां गठित की गई हैं । इन समितियों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक के प्रतिनिधि, दो बैंकों, जिनका राज्य में लघु और मध्यम उद्यम को वित्तपोषण में सर्वाधिक हिस्सा हो, के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सिडबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार उद्योग के निदेशक, राज्य में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम / लघु उद्योग संघ के एक या दो वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि तथा एसएफसी/एसआइडीसी से एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रु प में होंगे । इस समिति की बैठक नियत अवधि पर होगी तथा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम के वित्तपोषण में हुई प्रगति और रुग्ण लघु उद्योग /मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास की भी समीक्षा करेगी । यह क्षेत्र को सहज ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, के निवारण हेतु अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी । ये समितियां समूह / जिला स्तर पर ऐसी ही समितियां गठित करने की आवश्यकता का निर्णय लेंगी ।

9. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम हेतु ऋण पुनर्गठन तंत्र

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार बढ़ाने हेतु माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के भाग के रुप में रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों के लिए एक ऋण पुनर्गठन तंत्र बनाया गया है तथा इसकी सूचना सभी वाणिज्य बैंकों को दिनांक 8.9.2005 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 34/21.04.132/2005-06 द्वारा दी गई । ये विस्तृत दिशा-निर्देश सभी पात्र माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए गए हैं । ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित संस्थाओ पर लागू होंगे जो अर्थक्षम या संभाव्य रुप से अर्थक्षम हैं :

क) सभी गैर निगमित लघु और मध्यम उद्यम चाहे बैंकों को अति देय राशि का स्तर जो भी हो ।

ख) सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिन्हें एक ही बैंक से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे बैंकों को अति देय राशि का स्तर जो भी हो ।

ग) सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिनका बहुविध/संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत निधिक और गैरनिधिक बकाया 10 करोड़ रुपए तक हो ।

घ) ऐसे खाते जिनमें जान-बूझकर की गई चूक, कपट और धांधली हो, इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

ड) बैंकों द्वारा "हानि आस्तियां" के रुप में वर्गीकृत खाते पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिनका निधिक और गैरनिधिक बकाया 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक हो, के लिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ने दिनांक 10 नवम्बर 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 45/21.04.132/2005-06 द्वारा अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

10. समूह दृष्टिकोण

लघु उद्योग के केन्द्रित विकास हेतु लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 60 समूहों की पहचान की है । सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहचाने गए समूहों की ऋण आवश्यकताओं को दर्ज करें । गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 4-सी (4-c) दृष्टिकोण - अर्थात् ग्राहक केन्द्रित लागत नियंत्रण , प्रति बिक्री तथा जोखिमबद्ध अपनाकर पहचाने गए माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने क लिए संपूर्ण-सेवा दृष्टिकोण प्राप्त करें । उधार हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण निम्नलिखित में लाभकारी होगा :

(i) सुपरिभाषित तथा मान्यता प्राप्त समूहों से व्यवहार ;

(ii) जोखिम निर्धारण हेतु उपयुक्त जानकारी की उपलब्धता तथा

(iii) उधारदाता संस्थानों की निगरानी ।

समूहों को व्यापार रिकार्ड, प्रतिस्पर्धता तथा संवृध्दि संभावनाओं और /या अन्य समूह विशेष ब्योरे के आधार पर पहचाना जा सकता है ।

11. भारत सरकार, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रौद्योगिकी के x प्लान से xi प्लान में उन्नयन के लिए ऋण सहलग्न पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)को जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है :

i)योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए है ।

ii)ऊपर क्रम संख्या (i) में बताई गई अधिकतम सीमा वाले माइक्रो और लघु उद्यमों की इकाइयों के लिए सब्सिडी की दर 15% है ।

iii)स्वीकार्य सब्सिडी की गणना संयंत्र और मशीनरी के खरीदी मूल्य के आधार पर की जाएगी न कि लाभार्थी इकाई को दिए गए ऋण के आधार पर ।

iv) सिडबी और नाबार्ड योजना की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां बनी रहेंगी ।

11. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए समिति

11.1 लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित पहलुओं की जाँच हेतु समिति की रिपोर्ट (नायक समिति)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तत्कालीन उप गवर्नर श्री पी.आर.नायक की अध्यक्षता में दिसंबर 1991 में लघु उद्योगों द्वारा वित्त प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों की जाँच हेतु एक समिति गठित की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में प्रस्तुत की । समिति की सभी मुख्य

सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया है कि वे -

i) लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामीण उद्योगों, अत्यन्त लघु उद्योगों और अन्य छोटी इकाइयों को उसी क्रम में वरीयता दें ।
ii) उन लघु उद्योग इकाइयों को कार्यशील पूंजी ऋण सीमा उनकी अनुमानित वार्षिक आय के कम से कम 20% के आधार पर प्रदान करें ; जिनकी प्रत्येक इकाई की ऋण सीमा 2 करोड़ रु. तक (अब 5 करोड रु. हो गई है) हो ।
iii) बॉटम-अप आधार पर वार्षिक ऋण बजट तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योग क्षेत्र की विधिसंगत आवश्यकताएँ पूरी होती हैं ।
iv) लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी जिलों को एक ही काउंटर पर सभी सुविधाएँ प्रदान करने की योजना उपलब्ध कराई जाए ।
v) यह सुनिश्चित करें कि ऋण स्वीकृत होने और उसके संवितरण में विलम्ब नहीं होना चाहिए । ऋण प्रस्ताव की ऋण सीमा में कमी / अस्वीकृति होने पर संदर्भ उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए ।
vi) ऋण स्वीकृति के लिए बदले में आवश्यक जमाराशि पर जोर न दिया जाए ।
vii) विशेषीकृत लघु उद्योग बैंक शाखाएँ खोलें अथवा बड़ी संख्या में लघु उद्योग उधार खातों वाली शाखाओं को लघु उद्योग विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित करें ।
viii) रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की पहचान करें और उनमें सुधार के लिए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करें ।
ix) लघु उद्योग उधारकर्ताओं के लिए मानकीकृत ऋण आवेदन फार्म तैयार करें ।
x) विशेषीकृत शाखाओं में कार्यरत स्टाफ में स्थिति संबंधी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ।

11.2 लघु उद्योग को ऋण पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (कपूर समिति)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की सुपुर्दगी प्रणाली सुधारने तथा कार्य-विधि के सरलीकरण हेतु उपाय सुझाने के लिए एकल व्यक्ति उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष श्री एस.एल.कपूर, (आइ.ए.एस.,सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय थे । समिति ने 126 सिफारिशें की जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र को वित्त पोषण से संबधित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन सिफारिशों की जांच की गई तथा 88 सिफारिशों को स्वीकर करने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं :

(i) तदर्थ सीमाएं प्रदान करने हेतु शाखा प्रबंधकों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना ;

(ii) आवेदन फार्मों का सरलीकरण ;

(iii) ऋण अपेक्षाओं के मूल्यांकन हेतु बैंकों को स्वयं के मानदंड निर्धारित करने की स्वतंत्रता;

(iv) और अधिक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाएं खोलना;

(v) संमिश्र ऋण की सीमा में 5 लाख रु. तक की वृद्धि (अब बढ़ाकर 1 करोड़ रु.)

(vi) वसूली तंत्र का मजबूत करना ;

(vii) बैंकों द्वारा पिछड़े राज्यों के प्रति अधिक ध्यान देना ;

(viii) छोटी परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष कार्यक्रम ;

(ix) बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाना तथा शिकायतों के निपटान और उनकी निगरानी की प्रक्रिया सरल बनाना ।

11.3 लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट (गांगुली समिति)

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04 की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार डॉ. ए.एस.गांगुली की अध्यक्षता में "लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल" का गठन किया गया ।

समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तपोषण से संबंधित क्षेत्रों को व्यापक रुप से कवर करते हुए 31 सिफारिशें की हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों से संबंधित सिफारिशों की जाँच की गई जिसमें से अभी तक निम्नलिखित 8 सिफारिशें स्वीकार की गईं और बैंकों को उनके कार्यान्वयन हेतु
सूचित किया गया :-

i) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाना ;

ii) छोटे और अत्यंत लघु उद्योगों और उद्यमियों को सेवा देने वाले अग्रणी बैंकों द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के सफल कार्य मॉडल के व्यापक प्रचार के साथ-साथ विशिष्ट परियोजनाओं को प्रायोजित करना ;

iii) उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की दिक्कतों, बार-बार बाढ़ से परिवहन में बाधा आने जैसी कठिनाइयों के कारण वाणिज्य निर्णय के आधार पर उच्चतर कार्यकारी पूंजी सीमा स्वीकृत करना ;

iv) बैंकों द्वारा ग्रामीण उद्योग के उन्नयन तथा ग्रामीण कामगारों, ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सुधार के लिए नए उपाय खोजना ;

v) विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को निर्धारित लक्ष्य से कम ऋण देने के कारण सिडबी के पास जमा की गई शार्ट फाल की राशि की अवधि तथा उसके ब्याज दर ढाँचे में संशोधन ।

11.4 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर दिशानिर्देशों की समीक्षा हेतु आन्तरिक समूह

श्री सी.एस.मूर्ति, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आन्तरिक समूह का गठन हाल ही में किया गया जिसमें

अन्य बातों के साथ साथ लघु उद्योगों के वित्तपोषण के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों की समीक्षा, लघु उद्योगों / मध्यम उद्यमों के उधार खातों के पुनर्गठन हेतु उचित शर्तें सुझाने तथा इन मानदण्डों में छूट देने और उदारीकरण के सुझाव दिए गए । समूह ने अपनी रिपोर्ट 6 जून 2005 को प्रस्तुत की ।

आन्तरिक दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

i) रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारप्राप्त समितियों का गठन किया जाए ताकि लघु उद्योगों और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण में प्रगति की आवधिक समीक्षा की जा सके तथा इस क्षेत्र को सुचारु रूप से ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कमियाँ, यदि कोई हों, दूर करने के लिए बैंकों / वित्तीय संस्थानों तथा राज्य सरकार के साथ समन्वय ।

ii) लघु उद्योगों और मध्यम उद्यमों की बहुतायत वाले पहचान किए गए समूहों / केन्द्रों में विशेषीकृत लघु और मध्यम उद्योग शाखाएँ खोलना ताकि उद्यमियों की पहुँच बैंक ऋण तक आसानी से हो सके तथा बैंक के स्टाफ में अपेक्षित कौशल विकसित किया जा सके ।

iii) समूह का प्रस्ताव है कि बैंकों के बोर्डों को अधिकारयुक्त किया जाए ताकि वे कतिपय दिशानिर्देशों के आधार पर छोटे और मध्यम उद्यम इकाइयों के खातों के पुनर्गठन से संबंधित नीतियाँ बना सकें । बहुमुखी बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत 10 करोड़ रु. अथवा अधिक राशि की ऋण सीमा वाले लघु उद्योग / मध्यम उद्यमी खातों के पुनर्गठन को संशोधित सीडीआर तंत्र में कवर किया जाएगा ।

iv) रुग्ण लघु उद्योग इकाई की परिभाषा पर वर्तमान दिशानिर्देशों के बने रहने की सिफारिश करते हुए दल ने सिफारिश की कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों

को दी जानेवाली राहत और छूट के लिए मानदण्ड और अर्थक्षमता से संबंधित अन्य अनुदेश वापस ले लिए जाएँ और बैंकों को स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने दिशानिर्देश तैयार करें ।

दल की अधिकांश शिकायतें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा उन्हें माइक्रो लघु और मध्यम उद्यमा क्षेत्र को ऋण देने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के भाग के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है ।

12. केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण में वृध्दि हेतु पॉलिसी पैकेज

उक्त पॉलिसी घोषणा के आधार पर, हमने उक्त पॉलिसी उपायों के कार्यान्वयन हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों (दिनांक 19 अगस्त 2005 का परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं. 31/ 06.02.31/2005-06) तथा निजी, विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (दिनांक 25 अगस्त 2005 का परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी. 35/06.02.31/2005-06) भेजे हैं । पॉलिसी पैकेज की कुछ विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :-

- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की परिभाषा
- बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण हेतु अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋणों की लागत युक्तियुक्त बनाने के उपाय
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को औपचारिक ऋण प्रदान करने में वृद्धि के उपाय
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्तपोषण हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिकारप्राप्त समितियों का गठन
- उद्यम की क्रेडिट रेटिंग से सहलग्न करके ऋण की लागत के साथ पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाकर माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋणों की लागत को युक्तिमुक्त बनाने के उपाय
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लागू की गई क्रेडिट रेटिंग योजना के अन्तर्गत ख्यातिप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों की रेटिंग कराने पर विचार किया जाना
- बैंकों के बोर्डों द्वारा तैयार नीति अनुदेशों का व्यापक प्रचार तथा पहुँच आसान बनाना तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / निर्देशों को

संबंधित बैंक तथा सिडबी की वेबसाइट में प्रदर्शित करने के साथ-साथ बैंक शाखाओं में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना ।

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 10 अगस्त 2005 को संसद में घोषित "माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण में वृद्धि के लिए पॉलिसी पैकेज" की प्रतिलिपि अनुबंध IV में प्रस्तुत है।

13. माइक्रो, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006

भारत सरकार ने दिनांक 16 जून 2006 को माइक्रो, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 बनाया है जिसे 2 अक्तूबर 2006 को अधिसूचित किया गया। माइक्रो, लघु और उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना के अनुरूप विनिर्माण या उत्पादन तथा सेवाएं उपलब्ध या प्रदान करने में कार्यरत माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा आशोधित की गई है तथा दिनांक 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 63/06.02.31/2006-07 के अनुसार बैंकों द्वारा अन्य नीतिगत उपायों के साथ-साथ इसे तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित करना अपेक्षित है ।

14. भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड ने माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए बैंक प्रतिबध्दता की संहिता तैयाार की है । यह स्वैच्छिक संहिता है जो बैंको द्वारा, जब वे माइक्रो लघु और मध्यम उद्यमों से संव्यवहार करते हैं, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित किए गए अनुसार, अपनाए जाने के लिए बैंकिंग संव्यवहार के न्यूनतम मानक तय करती है । यह माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को संरक्षण प्रदान करती है और यह बैंकों को यह बताती है कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ संव्यवहार करते समय उनके दैनिक परिचालन में और वित्तीय समस्याओं की घड़ी में बैंकों से क्या अपेक्षा की गई हैं । यह संहिता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियामक और पर्यवेक्षी अनुदेशों को न तो परिवर्तित करती है और न ही अधिक्रमित करती है , बल्कि यह रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशा निर्देशों का पालन करती है ।

14.1. संहिता के उद्देश्य

यह संहिता इसलिए तैयार की गई है कि यह:-

क) सक्षम बैंकिंग सेवाओं तक माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की पहुंच को आसान बनाने के लिए उन्हें एक सकारात्मक बल प्रदान करती हैं ।

ख) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ लेनदेन करने में न्यूनतम मानक तय करके अच्छे और उचित बैंकिंग संव्यवहारों का प्रसार करती है ।

ग) पारदर्शिता बढ़ाती है ताकि सेवाओं से यथोचित रुप से क्या अपेक्षित है इसे भलिभांति समझा जा सके ।

घ) प्रभावी संप्रेषणीयता के जरिए कारोबार की हमारी समझ में सुधार लाती है ।

ड.)उच्चतर परिचालनगत मानकों को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा के जरिए बाजारी शक्तियों को प्रोत्साहित करती है ।

च) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों और बैंकों के बीच स्वच्छ और सौहार्द संबंध बढ़ाने के साथ-साथ बैंकिंग आवश्यकताओं के प्रति सामायिक और त्वरीत प्रतिसाद सुनिश्चित करती है ।

छ) बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को बढ़ाती है ।

संहिता का पूरा पाठ भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएबीआई) की बेबसाइट www.bs.sbi.org.in पर उपलब्ध है ।

अनुबंध - I

लघु उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर , 2006

का.आ. 1722 (अ)- केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मदों को विनिर्दिष्ट करती है जिनकी लागत को उक्त अधिनियम के खण्ड 7 (1) (a) में वर्णित उद्यमों की दशा में संयंत्र एवं मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय अपवर्जित किया जायेगा ।

(i) उपस्कर जैसे औजार , जिग्स, डाईयां, मोल्डस और रखरखाव के फालतू पुर्जे और उपभोज्य सामान की लागत ;

(ii) संयंत्र और मशीनरी का प्रतिष्ठापन;

(iii) अनुसन्धान और विकास उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर;

(iv) राज्य बिजली बोर्ड के विनियम के अनुसार उद्यमों द्वारा प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन सेट और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर;

(v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग निगम को संदत्त बैंक प्रभार और सेवा प्रभार;

(vi) केबलों का प्रतिष्ठापन या उपापन, वायरिंग, बस बारों, विद्युत नियंत्रण पेनल (जो किसी मशीन पर चढ़ी न हो) आइल सर्किट ब्रेकर्स या सूक्ष्म सर्किट ब्रेकर्स जो संयंत्र और मशीनरी को विद्युत शक्ति देने के लिए या सुरक्षात्मक उपाय के लिए आवश्यक रुप से प्रयोग किया जाना है;

(vii) गैस उत्पादक संयंत्र;

(viii) परिवहन प्रभार (बिक्रय कर या मूल्य वर्धित कर और उत्पादन शुल्क को अपवर्जित करते हुए) स्वदेशी मशीन के लिए उनके उत्पादन के स्थान से उद्यम के स्थान तक;

(ix) संयंत्र और मशीनरी के परिनिर्माण करने में तकनीकी ज्ञान के लिए प्रदत्त प्रभार;

(x) ऐसी भंडारण टंकी जो कच्चा माल और तैयार उत्पाद का भंडारण करते हों और जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित न हों, और

(xi) अग्निशमन उपस्कर ।

2. पैरा 1 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय उसके वास्तविक मूल्य को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि चाहे मशीनरी नई है या पुरानी गणना मे लिया जाएगा परन्तु तब जब कि मशीनरी आयातित है तो निम्नलिखित को, मूल्य की गणना करते समय सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्

(i) आयात शुल्क (विभिन्न खर्चों जैसे पतन से कारखाने के स्थल तक का परिवहन खर्च, पत्तन पर संदत्त डेमरेज प्रभार, को अपवर्जित करते हुए);

(ii) नौवहन प्रभार;

(iii) सीमा शुल्क निकासी प्रभार; और

(iv) विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर ।

(फा.सं.4 (1)/2006-एमएसएमई नीति)

जवाहर सरकार, अपर सचिव

अनुबंध IV

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत पैकेज

लघु उद्योग लगभग 8000 उत्पादकों का उत्पाद करता है जो औद्योगिक उत्पादन का 40% है और जो कृषि के बाद बड़ी संख्या में रोज़गार प्रदान करता है । अतः यह क्षेत्र राष्ट्र को विश्व में प्रधानता पाने के लिए स्थानीय प्रतियोगी लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है । इन पहलुओं को पहचानते हुए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में लघु क्षेत्र के विकास की बढ़ौती के लिए निम्नलिखित घोषणा की गयी है ।

"घरेलू और कारीगरी विनिर्माण को अधिक प्रौद्योगिकी, निवेश और विपणन सहायता दी जाएगी । लघु उद्योग को इंस्पेक्टर राज से मुक्त किया जाएगा तथा संपूर्ण ऋण, प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी । बड़े औद्योगिक समूहों में मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा । "

2. लघु उद्योग से छोटे और मध्यम उद्यम : नवीन प्रतिमान की परिभाषा

2.1 सरकारी नीति तथा ऋण नीति ने अब तक लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों पर ध्यान दिया है । विश्व में व्यापार अड़चने कम होने से उद्यमों के व्यवहार्य न्यूनतम मान बढ़ गए हैं । फर्मों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नियोजित यूनिट और तकनीक की मात्रा अब अधिक है । लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है तथा नीति की परिधि में सेवाओं तथा व्यापार क्षेत्रों को शामिल करने हेतु विचार किया जाना चाहिए । वैश्विक प्रक्रिया के मद्देनजर इस क्षेत्र की वर्तमान अवधारणा को व्यापक बनाने तथा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम और मध्यम उद्यमों के संमिश्र क्षेत्र में मध्यम उद्यमों को शामिल करने की आवश्यकता है । लघु उद्योगों का माइक्रो लधु और मध्यम उद्यमों में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए एक व्यापक विधि - व्यवस्था संसद के विचाराधीन है । इस बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने आंतरिक समूह का गठन किया है जिसने यह सिफारिश की है । वर्तमान लघु उद्योगों / अत्यंत लघु उद्योगों की परिभाषा वही रहेगी । संयंत्र और मशीनरी में लघु उद्योग सीमा से अधिक तथा 10 करोड़ रु. तक निवेशवाली इकाइयां मध्यम उद्यम मानी जाएंगी । माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास बिल का अधिनियमन हो जाने के बाद परिभाषा की समीक्षा की जाएगी । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में केवल लघु उद्योग वित्तपोषण ही सम्मिलित किया जाएगा ।

2.2 यह प्रस्ताव है कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दी जानेवाली ऋण सुविधाओं के संबंध में सिफारिश को स्वीकृत किया जाए और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया जाए कि छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बैंकों की ऋण नीति की समग्र रुप-रेखा के भीतर माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धि बढ़ाने हेतु एक नीति तैयार करने के लिए बैंकों को सूचित किया जाए ।

2.3 माइक्रो, लधु और मध्यम क्षेत्र के सामने आयी चुनौतियाँ संक्षेप में निम्नानुसार हैं -

क) माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यम विशेषकर छोटे उद्यमों के अत्यंत छोटे खंड के पास वित्त संबंधी जानकारी और अनौपचारिक व्यापार व्यवहार के अभाव के कारण वित्त हेतु अपर्याप्त पहुँच होती है । छोटे और मध्यम उद्यमों के पास निजी ईक्विटी और उद्यम के लिए पूंजी तक पहुँच तथा अनुषंगी बाजार उपकरण में सीमित पहुँच का भी अभाव है ।

ख) माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यम अपनी निविष्टियाँ तथा उत्पादनों के संबंध में बिखरे हुए बाजार का सामना करते हैं तथा अस्थिर बाजार के प्रति असुरक्षित हैं ।

ग) माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यमों में अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रति आसान पहुँच का अभाव है ।

घ) माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यमों की प्रौद्योगिकी और उत्पाद की नवीन प्रक्रिया में भी सीमित पहुँच है। वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहार में जागरुकता का अभाव है ।

ङ) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम और मध्यम उद्यमों को बड़े क्रेता से बिलों का बकाया / भुगतान के निपटान में विलंब का सामना करना पड़ता है ।

वित्तीय क्षेत्र के अविनियमन से माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम और मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की बैंकों की क्षमता, निहित लेन-देन लागत, प्रभावशाली वसूली प्रक्रियाएं और उपलब्ध प्रतिभूति पर निर्भर है । बैंकिग क्षेत्र द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों की ऋण और वित्तीय आवश्यकताओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ।

3. माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यमों को सही कीमत पर ऋण की मात्रा बढ़ाना

3.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों को माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यमों के निधियन हेतु अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सूचित किया जाएगा ताकि माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यमों को ऋण में जमानत न्यूनतम 20% की वृध्दि हो सकें । इसका उद्देश्य माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धि 5 वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात वर्ष 2004-05 में 67,600 करोड़ रुपए से वर्ष 2009-10 में 1,35,200 करोड़ रुपए तक दुगुनी करना है ।

3.2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उधार की लागत की पारदर्शक रेटिंग प्रणाली जो उद्यम के क्रेडिट रेटिंग से सहलग्न हो , को अपनाने के लिए सूचित किया जाएगा ।

3.3 सिडबी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. के साथ मिलकर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के शीघ्र गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा ।

3.4 सिडबी भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर प्रत्येक पहचाने गए समूह में जोखिम पर समान ब्योरे
एकत्र करेगा तथा छोटे उद्यमों (अत्यंत छोटे उद्यमों सहित) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली विकसित करेगा । इससे लेन-देन लागत घट जाएगी और छोटे (अत्यंत छोटे उद्यमों सहित) उद्यमों को समूहों में ऋण उपलब्ध कराने में सुधार होगा ।

3.5 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने हाल ही में लघु उद्योग इकाइयों का प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उनका क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक क्रेडिट रेटिंग योजना आरंभ की है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया जाएगा कि वे इन रेटिंग की उपलब्धता के आधार पर उचित रुप से विचार करें तथा अपनी दरें उचित रुप से तैयार करें ।

3.6 सिडबी ने छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए उधार मूल्यांकन और रेटिंग साधन (सीएआरटी) के साथ ही साथ जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम) और जोखिम मूल्यांकन ऋण प्रस्तावों के लिए व्यापक रेटिंग मॉडल विकसित किये हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया जायेगा कि वे इन मॉडलों का उचित लाभ उठाकर अपनी लेन-देन लागत कम करने पर विचार कर सकते हैं ।

4. औपचारिक ऋण की पहुॅंच : नये खाते खोलना

वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की लगभग 67,000 शाखाएं प्रति वर्ष अपनी प्रत्येक अर्धशहरी / शहरी शाखा में औसत कम से कम 5 नये छोटे / मध्यम उद्यमों को क्रेडिट कवर देने के सधन प्रयास करेंगें ।

5. रुग्ण इकाइयों को सामान्य स्थिति में लाने हेतु उनका पोषण : ऋण पुनर्निर्धारण

रिज़र्व बैंक ऋण पुनर्निर्धारण तंत्र संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा ताकि सभी पात्र छोटे और मध्यम उद्यमों का ऋण पुनर्निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके जो बैंकिंग क्षेत्र में कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर) तंत्र से कम अनुकूल नहीं है । उधारकर्ता इकाई के अनुरोध पर पुनर्निर्धारण किया जाएगा । "हानि आस्तियां" के रुप में वर्गीकृत को छोड़कर सभी खाते पुनर्निर्धारण के लिए पात्र होंगे, बशर्ते औद्योगिक इकाइयाँ सक्षम या संभाव्य रुप से सक्षम हों ।

रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से खातों के पुनर्निर्धारण संबंधी और उदार नीतियां तैयार कर सकते हैं । जब तक बैंक स्वयं की नीतियां नहीं बनाता तब तक रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश लागू होंगे ।
बैंकों की बहियों में 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार छोटी अनर्जक आस्तियों वाले खातों के लिए एक-बारगी समझौता योजना आरंभ की जा रही है । यह योजना 31 मार्च 2006 से लागू होगी ।

6. सुविधा हेतु उपाय

रिज़र्व बैंक ने लघु उद्योग इकाइयों के ऋण आवेदन पत्रों के निपटान हेतु लिए जाने वाले समय, वह सीमा जहाँ बैंक संपार्श्विक रहित और सम्मिश्र ऋण प्रदान कर सकते है, लघु उद्योग इकाइयों को दी जानेवाली कार्यशील पूंजी ऋण सीमा की गणना के मानदण्ड, प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत शाखा खोलने इत्यादि के संबंध में मार्च 2005 में एक मास्टर परिपत्र जारी किया

था । इन दिशानिर्देशों को न्यूनतम निर्दिष्ट मानते हुए बैंक माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को अग्रिम देने के संबध में एक व्यापक और अधिक उदार नीति तैयार करेंगे । बैंकों द्वारा ऐसी नीति तैयार किए जाने तक बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को अग्रिम देने हेतु लागू वर्तमान अनुदेश जारी रहेंगे ।

7. लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना (सीजीटीएसआइ)

वर्तमान में,बैंकों जैसी सदस्य उधारदाता संस्थाओं को चूक की राशि का 75% गारंटी कवर सीजीटीएसआइ द्वारा दिया जाता है । सदस्य उधारदाता संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक जमानत और/या तृतीय पक्ष गारंटी लिए बिना नये और वर्तमान लघु उद्योग इकाइयों/सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर इकाइयों / लघु उद्योग सेवा व्यवसाय उद्यमों (एसएसएसबीइ) को 25 लाख रु. तक मीयादी ऋण और /या कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए दिया जाता है । वर्तमान में, सीजीटीएसआइ द्वारा सदस्य उधारदाता संस्थाओं से स्वीकृत ऋण सीमा के 2.5% एकमुश्त गारंटी फीस और 0.75% वार्षिक सेवा फीस प्रभारित की जाती है । उधारकर्ताओं के कमज़ोर वर्ग को विशेष कर अत्यंत लघु इकाइयों को गारंटी लागत कम करने के लिए सीजीटीएसआइ को सूचित किया जाएगा कि निम्नलिखित के लिए एकमुश्त गारंटी फीस घटाकर 2.5% से 1.5% की जाए :- (i) 2 लाख रु. तक के ऋण (ii) पात्र महिला उद्यमी और (iii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम) तथा जम्मू और कश्मीर में स्थित पात्र उधारकर्ता । साथ ही, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को (i) 2 लाख रुपए तक के ऋण (ii) पात्र महिला उद्यमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम) तथा जम्मू और कश्मीर में स्थित पात्र उधारकर्ताओं को गारंटी के संबंध में 0.25% से अधिक वार्षिक सेवा फीस को आमेलित करने को प्रोत्साहित किया जाए ।

8. समूह आधारित दृष्टिकोण

माइक्रो, लधु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र को सामूहिक आधार पर वित्तपोषण देने से लेन-देन लागत में कमी, और जोखिम कम करने की संभावना होती है ।अभी तक 388 समूहों की पहचान कर ली गई है । छोटे तथा मध्यम उद्यमा क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण से होने वाले लाभों के मद्देनज़र बैंक इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मान सकते हैं तथा छोटे और मध्यम उद्यम वित्तपोषण हेतु इसे अपनाने को बढ़ावा दे सकते हैं । सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से समूह में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु वित्तपोषण विकल्पों को व्यापक बनाने के लिए सिडबी, जोखिम उठाने वालों के परामर्श से एक योजना तैयार करेगा ।

सिडबी ने चयनित समूहों में लघु उद्यम वित्तीय केन्द्र (एस ई एफ सी) स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है । प्रत्येक समूह के जोखिम प्रोफाइल का अध्ययन व्यावसायिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा ऐसी जोखिम प्रोफाइल रिपोर्टें वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध करा दी

जाएंगी । जिले का प्रत्येक अग्रणी बैंक कम से कम एक समूह को अपनाने पर विचार कर सकता है ।

9. निगरानी केंद्रों का निर्माण - निगरानी और समीक्षा

निम्नलिखित पर्यवेक्षी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी :

क) लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की समीक्षा के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्था यथा रिज़र्व बैंक में स्थायी परामर्शदात्री समिति तथा बैंक के प्रधान कार्यालय स्तर पर कक्ष तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्र यथार्थ और नियमित होंगे । वे छोटे तथा मध्यम उद्यमा क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराए जाने की भी समीक्षा करेंगें ।

ख) क्षेत्रीय कार्यालयों में रिज़र्व बैंक, रुग्ण लघु उद्योग और मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास तथा माइक्रो, लधु एवं मध्यम उद्यम के वित्तपोषण में हुई प्रगति की समीक्षा करने और क्षेत्र में सहज ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तथा अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार के साथ बााधाओं, यदि कोई हों, के निवारण हेतु समन्वय करने के लिए अधिकार प्राप्त समितियों का गठन करेंगे जिनके अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक होंगे । ये क्षेत्र स्तरीय समितियाँ समूह /जिला स्तर पर ऐसी ही समितियां गठित करने की आश्यकता का निर्णय लेंगी ।

ग) बैंक छोटे उद्यम की प्रधानता वाले पहचाने गए समूहों / केन्द्रों में विशेषीकृत छोटे और मध्यम उद्यम शाखाएं सुनिश्चित करें ताकि माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यमी की बैंक ऋण हेतु सुलभ पहुँच हो सके तथा बैंक स्टाफ में आवश्यक दक्षता विकसित करने में सहायक बन सके । मौजूदा विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं को माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यम शाखाओं के रुप में पुन:नामित किया जाएगा।

घ) बैंक के बोर्ड को स्व-निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा माइक्रो, लधु और मध्यम उद्यम खातों के पुनर्वास और पुनर्गठन में हुई प्रगति की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर करने हेतु सूचित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र को बैंकों के उच्चतम मंच पर आवश्यक महत्व दिया जा रहा है ।

ङ) व्यापक प्रसार और सुलभ पहुँच के लिए बैकों के बोर्ड द्वारा तैयार किए गए नीति संबंधी दिशा-निर्देश तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेश /दिशा-निर्देश संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वेब साइट और सिडबी की वेब साइट पर प्रदर्शित किए जाएं । बैंकों को छोटे उद्यमियों

को उनके द्वारा प्रदान की जा रही सभी सुविधाओं/योजनाओं को उनकी प्रत्येक शाखा में भी मुख्य रु प से प्रदर्शित करने हेतु सूचित किया जाएगा ।

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र

<u>माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार</u>

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय	पैरा नं.
1.	ग्राआऋवि.एसएमई ऍड एनएफएस सं.12372/ 06.02.31(पी)/2007-08	30.5.2008	ऋण सहलग्न पूंजीगत सब्सिडी योजना	11
2.	ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी.84/ 04.09.01/2006-07	30.04.2007		
3.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.63/06.02.31/2006-07	04.04.2007	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम,2006 लागू करना	1-1, IV, 13.6
4.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.35/06.02.31/2005-06	25.08.2005	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज - केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा(निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों तथा क्षेग्राबैंकों के लिए)	IV, 13.5
5.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.31/06.02.31/2005-06	19.08.2005	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज - केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए)	IV, 13.5

6.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.101/06.02.31/ 2004-05	20.05.2005	लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों (एसइएफसी) हेतु योजना	1.6.4, 4, 11.6
7.	ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.64/ 04.09.01/2004-05	15.12.2004	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - निर्धारित संस्थानों द्वारा जारी विशेष बांडों में निवेश	I.1, 1.1.1,1 2,1.1.3
8.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.61/006.02.31(डब ल्यूजी)/2004-05	08.12.2004	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की बाध्यताओं में कमी के स्थान पर सिडबी का ब्याज दर	III.3.1, 3.5
9.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.43/06.02.31/200 4-05	26.10.2004	लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश	II.2.1,2 2,2.3
10.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.28/06.02.31(डब्ल यूजी)/2004-05	04.09.2004	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल	IV.13.3
11.	ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.41/ 04.09.01/2003-04	03.11.2003	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का उधार - सिडबी में जमाराशियों की कमी	III.3.1
12.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.40/06.02.31/200 3-04	03.11.2003	लघु उद्योग हेतु ऋण सुविधाएं - बैंकों द्वारा लघु उद्योग को आगे उधार देने के प्रयोजन से एनबीएफसी को उधार	1.6.5
13.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.39/06.02.80/200 3-04	03.11.2003	लघु उद्योग को ऋण सुविधाएं - संपार्श्विक मुक्त ऋण	IV 2.4

14.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. 620/06.02.28(i)/2002-03	11.09.2003	एसएसीबैठक - कार्य मदों का कार्यान्वयन - ब्याज दर - स्लैब आधारित	IV 5
15.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. 2292/06.02.28(i)/2003-04	13.06.2003	एसएसी बैठक- कार्य मदों का कार्यान्वयन - लघु उद्योग के लिए स्वयं निर्धारित लक्ष्य	III.1.1, 2.1.1 2.1.2
16.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.24/06.02.77/2003-04	04.10.2002	लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना - ऋण आवेदनों के निपटान हेतु समय-सारणी	IV.2.2
17.	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 74/22.01.001/2002	11.03.2002	सामान्य बैंकिंग शाखाओं का विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तन	IV 2.6
18.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.58/06.02.80/2001-02	23.01.2002	संपार्श्विक रहित ऋण - लघु उद्योग	IV 2.4
19.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.57/06.04.01/2001-02	16.01.2002	रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु दिशा-निर्देश	IV 2.8
20.	आईसीडी.सं.5/08.12.01 / 2000-01	16.10.2000	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता- मंत्रियों के समूह का निर्णय	IV 2.7
21.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.57/06.02.31/99-2000	02.02.2000	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन	1.1.1, 1.1.2
22.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.89/06.02.31/98-	14.06.1999	लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998	IV 2.7

	99			
23.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस ी. बीसी.89/06.02.31/98- 99	01.03.1999	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता- कार्यकारी पूंजी सीमाओं का अभिकलन	II 3.3
24.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस ी. बीसी.22/06.02.31(ii)/ 98-99	28.08.1998	लघु उद्योग पर उच्च स्तरीय समिति- कपूर समिति-सिफारिशों का कार्यान्वयन	IV 13.2
25.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस ी. बीसी.127/06.02.31/97 -98	08.06.1998	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता	IV 5
26.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस ी. सं.792/06.02.31/97- 98	02.03.1998	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता - विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाएं खोलना	IV 2.6
27.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस ी. बीसी.89/06.02.31/97- 98	19.02.1998	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन	I 1.1, III 1..3,1.1 .2
28.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस ी. बीसी.66/06.02.31/97- 98	05.01.1998	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अभिनियोजन	III1.3,1 .1,1.1.2
29.	ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.74/ 04.09.01/96-97	11.12.1996	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य प्राप्ति में कमी	III4.1- 4.4
30.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस ी. बीसी.23/06.06.12/94- 95	01.09.1995	केवीआइ क्षेत्र को बैंक ऋण	1 1.5
31.	ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.38/ 04.09.09/94-95	22.09.1994	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार	III 2.1.1,2. 1.3

32.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस।. बीसी.16/06.06.12/94-95	28.07.1994	केवीआइ क्षेत्र को बैंक ऋण	I 1.6
33.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस।. बीसी.84/06.02.12/93-94	07.01.1994	केवीआइ क्षेत्र को बैंक ऋण - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का अग्रिम	I 1.5
34.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस।. बीसी.99/06.02.31/92-93	17.04.1993	लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त संस्थागत ऋण की जांच हेतु तथा संबंधित पहलुओं पर समिति की रिपोर्ट	IV 13.1
35.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस।. बीसी.45/पीएस.72/86	20.01.1986	विनिर्माण हेतु बाउट लीफ कारखानों को वित्त पोषण	I 1.9
36.	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस।. बीसी.44/पीएस.72/86	17.01.1986	पोतभंजन उद्योग को बैंक वित्त	I 1.8